



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 12 जनवरी, 2021

पौष 22, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

ऊर्जा अनुभाग-3

संख्या 7020/आठ/वि०भू०अ०अ०/कलेक्टर/बुलन्दशहर/2020

लखनऊ, 12 जनवरी, 2021

अधिसूचना

प०आ०-26

टी०एच०डी०सी० इण्डिया लि० खुर्जा, जिला बुलन्दशहर के द्वारा अपेक्षित सार्वजनिक प्रयोजन यथा-उच्च तापीय विद्युत परियोजना, खुर्जा, जिला बुलन्दशहर में विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन (कोयला) की आपूर्ति हेतु रेलवे लाईन के निर्माण के लिए जिला बुलन्दशहर, परगना व तहसील खुर्जा के ग्राम नयावास मजरा नायसर में स्थित क्षेत्रफल 0.3160 हे०, ग्राम जाँवल में स्थित क्षेत्रफल 0.1427 हे०, ग्राम दशहरा खेरली में स्थित क्षेत्रफल 0.2328 हे०, (0.1328 हे० सरकारी भूमि सहित), ग्राम रुकनपुर में स्थित क्षेत्रफल 0.0739 हे० (0.0249 हे० सरकारी भूमि सहित) एवं ग्राम दाँवर में स्थित क्षेत्रफल 0.0527 हे० कुल योग 0.8181 हेक्टेयर अथवा 2.022 एकड़ भूमि (0.6604 हे० निजी भूमि+0.1577 हे० सरकारी भूमि) के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के अन्तर्गत जो प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 6342/आठ/वि०भू०अ०अ०/कलेक्टर/ बुलन्दशहर/2020, दिनांक 15 जुलाई, 2020 को निर्गत की गई, तथा अन्तिम रूप से दिनांक 16 जुलाई, 2020 को दो दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई। प्रस्तावित उच्च तापीय विद्युत परियोजना खुर्जा की रेलवे लाईन के निर्माण हेतु स्थल पर भूमि पंक्ति के रूप में अर्जित की जा रही है जिसके प्रभावस्वरूप कोई भी कृषक परिवार/व्यक्ति विस्थापित नहीं हो रहा है, विस्थापन पूर्णतः शून्य है।

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12 में विहित प्राविधानों के अनुसार परियोजना के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संयुक्त सर्वे विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, बुलन्दशहर के पर्यवेक्षण में कराया गया तथा अधिनियम की धारा 15 (2) में विहित प्राविधानों के क्रम में प्रभावित कृषकों से प्राप्त आपत्तियों का विवरण शून्य है। विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी/ अपर कलेक्टर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट तथा शासकीय अधिसूचना संख्या 491/एक-13-2014-7 (51)-2014, लखनऊ दिनांक 6 अगस्त, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आलोक में समुचित सरकार के रूप में मेरा यह समाधान हो गया है कि अनुसूची "क" में वर्णित भूमि का क्षेत्रफल सार्वजनिक प्रयोजन हेतु टी०एच०डी०सी०इं०लि० की रेलवे लाइन के निर्माण के लिए अर्जित किया जाना आवश्यक है तथा पुनर्व्यवस्थापन (अनुसूची "ख") में हेतु भूमि विवरण शून्य चिन्हित किया गया है। अतः जनहित में प्रस्तावित भूमि के अर्जन हेतु

अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन इस प्रभाव की घोषणा का प्रकाशन समुचित सरकार के रूप में अधोहस्ताक्षरी द्वारा किया जाता है।

“अनुसूची-क”

(प्रस्तावित अर्जन के अन्तर्गत भूमि)

जिला-बुलन्दशहर					राज्य-उत्तर प्रदेश
क्रम संख्या	तहसील	परगना	ग्राम	खसरा संख्या	अर्जन के लिए प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
1	खुर्जा	खुर्जा	नयावास मजरा नायसर	667	0.3160
				योग	0.3160
2	खुर्जा	खुर्जा	जॉवल	487	0.0641
				489	0.0576
				490	0.0210
				योग	0.1427
3	खुर्जा	खुर्जा	दशहरा खेरली	972	0.0708
				1019	0.0172
				1015	0.0020
				1071	0.0100
				योग	0.1000
4	खुर्जा	खुर्जा	रुकनपुर	487	0.0175
				638	0.0050
				361	0.0265
				योग	0.0490
5	खुर्जा	खुर्जा	दाँवर	618	0.0297
				498	0.0230
				योग	0.0527
				कुल योग	0.6604 हे०
					या
					1.632 एकड़

1-भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र में कोई भी परिवार विस्थापित न होने के कारण, “अनुसूची ख” आपेक्षित नहीं है।

2-अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का स्थल नक्शा कलेक्टर के कार्यालय में भूमि अर्जन के उद्देश्य से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय 10 बजे पूर्वान्ह से अपरान्ह 05 बजे के मध्य देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
भवानी सिंह खंगारौत,
विशेष सचिव।

No. 7020/VIII/S.L.A.O./Collector/Bulandshahr/2020

Dated Lucknow, January 12, 2021

WHEREAS preliminary notification no. 6342/VIII/S.L.A.O./Collector/Bulandshahr/2020, dated July 15, 2020 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Rehabilitation and Resettlement Act, 2013, lastly published on dated July 16, 2020, for land area of 0.3160 Hectare situated in village Nayawas Mazra Naaysar, 0.1427 Hectare situated in village Jawal, 0.2328 Hectare (including 0.1328 Hectare Government land) situated in village Dashahra Kherli, 0.0739 Hectare (including 0.0249 Hectare Government land) situated in village Rukanpur and 0.0527 Hectare situated in village Dawar, total sum of 0.8181 Hectare or 2.022 Acres (0.6604 Hectare private land + 0.1577 Hectare Government land) in Pargana and Tehsil Khurja, of district Bulandshahr is required for public purpose *i.e.* construction of Railway line for transportation of fuel (coal) for electricity generation for Super Thermal Power Project, Khurja, district Bulandshahr of THDC India Limited. The proposed land acquisition is of linear nature and hence no person/ family is to be displaced.

As per the provision vested in section 12 of the Act, the joint measurement survey of the land to be acquired for the project was conducted under the supervision of Special Land Acquisition Officer, Bulandshahr, also as per provisions vested in section 15(2) of the Act, the details of objections received from affected farmers are zero. In the light of the report submitted by the Special Land Acquisition Officer/Additional Collector, the powers conferred by the Government notification no. 491/one-13-2014-7(51) -2014, Lucknow dated August 6, 2014, I am satisfied that the area of land mentioned in Schedule "A" is required to be acquired for construction of Railway line of THDCIL for public purpose and the land area earmarked for Rehabilitation (Schedule "B") have been marked as zero. Therefore, the declaration of this effect is published by the undersigned as the appropriate Government under sub-section (1) of section 19 of the Act for acquisition of the proposed land in public interest.

"SCHEDULE A"

(Land Under Proposed Acquisition)

District-Bulandshahr				State-Uttar Pradesh	
Sl. no.	Tehsil	Pargana	Village	Khasra no.	Area to be Acquired (in Hectare)
1	2	3	4	5	6
1	Khurja	Khurja	Nayawas Majra Naaysar	667	0.3160
				Total	0.3160
2	Khurja	Khurja	Jawal	487	0.0641
				489	0.0576
				490	0.0210
				Total	0.1427
3	Khurja	Khurja	Dashahra Kherli	972	0.0708
				1019	0.0172
				1015	0.0020
				1071	0.0100
				Total	0.1000

Sl. no.	Tehsil	Pargana	Village	Khasra no.	Area to be Acquired (in Hectare)
1	2	3	4	5	6
4	Khurja	Khurja	Rukanpur	487	0.0175
				638	0.0050
				361	0.0265
				Total	0.0490
5	Khurja	Khurja	Dawar	618	0.0297
				498	0.0230
				Total	0.0527
Grand Total					0.6604 Hect. or 1.632 Acres

1. "Schedule B" is not expected as no families are to be displaced due to the said land acquisition.

2. A plan of land may be inspected in the Office of the Special Land Acquisition Officer/Collector, Bulandshahr between 10:00 am to 5:00 pm on any working day.

By order,

BHAWANI SINGH KHANGAROT,

Vishesh Sachiv.